न्यायालय : सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

क्रमांक / 131 /2024 बुरहानपुर, दिनांक 03-05.2024

:: आपराधिक कार्य विभाजन ज्ञापन वर्ष 2024 ::

मैं **सरिता जतारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)**, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक 8565/तीन–2–3/74 दिनांक 12.03.1977 के निर्देशानुसार तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दिनांक 13.03.24 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर का पद रिक्त होने के दौरान चार्ज प्रभारी श्री अजय कुमार यदु न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के उल्लंघन में निर्मित किन्तु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया बुरहानपुर द्वारा अनुमोदित कार्यविभाजन पत्रक में इस न्यायिक जिला बुरहानपुर एवं तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य कार्य विभाजन हेतु प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करती हूं जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

नोट क. 01 – कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.03.24 के सरल क 01, 02, 03, 05, 08 व 09 को पूर्णतः विलोपित कर उनके स्थान पर निम्नानुसार कंडिकाएं प्रतिस्थापित की जाती है।

नोट क. 02 – कार्यविभाजन पत्रक दिनांक 13.03.24 के सरल क 05 में डॉ. श्री गौरव गर्ग तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तह नेपानगर जिला बुरहानपुर का जबलपुर स्थानांतरण हो जाने से सरल क. 05 से उनका नाम विलोपित किया जाता है तथा उनके स्थान पर श्री गुरूवेन्द्र हुरमाडे का नाम समाहित किया जाता है जो माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक बी/1011 जबलपुर दिनांक 08.04.24 में दिए गए आदेशानुसार सप्ताह में एक दिन तथा आगामी आदेश प्राप्ति पर आदेशानुसार तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर में उपस्थित होकर लिंक कोर्ट का कार्य निष्पादित करेंगे तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया के परिपत्र क्रमांक 03/एक–5–2/2010 बुरहानपुर दिनांक 16.04.24 के अनुसार आगामी आदेश तक तहसील नेपानगर के आरक्षी केन्द्र नेपानगर व निंबोला के समस्त आवश्यक कार्य निष्पादित करेंगें।

नोट क. 03 – कार्यविभाजन दिनांक 13.03.24 के सरल क 10 में सुश्री दिव्या श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर का देपालपुर जिला इंदौर स्थानांतरण हो जाने से उनका नाम विलोपित कर उनके नाम के स्थान पर सुश्री शिवानी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर का नाम समाहित किया जाता है।

नोट क 04 – कार्यविभाजन दिनांक 13.03.24 के सरल क 04 से बिन्दू क्रमांक 06, सरल क 06 से बिन्दू क 04, सरल क 08 से बिन्दू क्रमांक 06 विलोपित किये जाकर सरल क 03 में बिन्दू क 07 के रूप में समाहित किये जाते हैं। शेष कार्य विभाजन पत्रक आगामी आदेश तक यथावत रहेगा।

प्रतिस्थापित कार्यविभाजन

1	2	3	4
1.	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्र** **1. कोतवाली** **2. शाहपुर** **3. लालबाग** **3. जी.आर.पी.** **4. संपूर्ण आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त**	**1.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, शाहपुर, लालबाग जिला बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त बुरहानपुर उत्तर, वृत्त बुरहानपुर दक्षिण एवं वृत्त नेपानगर के **समरी प्रकरणों के अतिरिक्त सभी प्रकरण**) तथा उनकी चौकी एवं अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना एवं उससे संबंधित परिवाद विलोपन एवं अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट तथा क्लोजर रिपोर्ट का निराकरण करना (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों, जिनमें ग्राम न्यायालय शामिल है, को है)

2024

3	4
नेपानगर के समरी प्रकरणों के अतिरिक्त समस्त प्रकरण)	**2.** नगरपालिका बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले नगरपालिका परिषद् द्वारा प्रस्तुत होने वाले नगरपालिका अधिनियम के समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अपीलों का निराकरण। **(माननीय सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर)।**
2. संपूर्ण बुरहानपुर जिला	**3.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्र जी. आरपी. यातायात आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण, नेपानगर) तथा उनकी चौकियों से उत्पन्न होने वाले आबकारी प्रकरण, जिनमें जप्त की गई मदिरा की मात्रा 50 बल्क लीटर या उससे अधिक हो तथा धारा 49(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरणों का निराकरण। **4.** सिनेमाटोग्राफ एक्ट से संबंधित समस्त मामलें। **5.** खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य आपराधिक परिवाद संपूर्ण बुरहानपुर जिले का ग्रहण कर निराकरण करना (विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण) **6.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्र, कोतवाली में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **7.** आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली, लालबाग तथा शाहपुर जिला बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), (आरक्षी केन्द्र नेपानगर, निम्बोला को छोड़कर) से उत्पन्न होने वाले भारतीय खदान अधिनियम से संबंधित प्रकरण। **8.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले मोटरयान अधिनियम की धारा 113/114, 115/194(1), 114/194(2) के अंतर्गत ओवर–लोडिंग से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। **9.** दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 एवं 325 के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रेषित प्रकरण। **10.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय लगाये जाने का कार्य। **11.** बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित एवं कार्यरत ग्राम न्यायालयों द्वारा दाण्डिक प्रकरणों में किये गये विनिश्चियन् के विरुद्ध ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1966 की

1	2	3	4
			धारा 31 के अंतर्गत प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकायें। **12.** सिविल जिला बुरहानपुर के न्यायालय की ओर से प्रेषित परिवाद का विचारण करना। **13.** सिविल जिला बुरहानपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों के मामलो के खारिजी प्रतिवेदन तथा थाना सिटी कोतवाली बुरहानपुर, जी.आर.पी., यातायात, आबकारी विभाग (वृत्त उत्तर एवं दक्षिण), द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **14.** माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर एवं माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का पालन करना। 15. **धारा 306 द.प्र.सं.** के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी से संबंधित प्रकरणों का निराकरण। **16. श्रम विभाग एवं कारखाना अधिनियम** द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का निराकरण। **17.** केबल टेलीविजन नेटवर्क(रेग्यूलेशन) एक्ट 1989 से संबंधित समस्त मामलें। **18.** मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां। **19.** औषधी एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रकरण। (कंडिका क्र. 10 से 15 में जो अधिनियम उल्लेखित किये गये हैं, उनसे संबंधित ऐसे प्रकरण, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य हो, सुने जायेंगे) **20.** ऐसे अधिनियमों या नियमों से संबंधित मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन ज्ञापन में नहीं है, लेकिन जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 03 वर्ष से 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय मामले विचारण योग्य है।

03/5/2024

1	2	3	4
2.	श्री अजय कुमार यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्र 1. गणपतिनाका 2. संपूर्ण आबकारी वृत्त बुरहानपुर उत्तर, दक्षिण के अंतर्गत उदभूत समस्त समरी प्रकरण 3. वन विभाग जिला बुरहानपुर	**1.** थाना **गणपतिनाका** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका, सिटी कोतवाली, लालाबाग व शाहपुर** क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **गणपतिनाका** में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945 ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम **8.** जिला बुरहानपुर में स्थित वन अधिनियम से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण।
3.	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रेणी बुरहानपुर	आरक्षी केन्द्रः– 1. महिला थाना बुरहानपुर 2. समस्त जिला बुरहानपुर से उदभूत पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद पत्र	**माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशानुसार सप्ताह में एक दिन बुधवार को बाल न्यायालय में उपस्थित होकर कार्य निष्पादित करेंगी तथा सप्ताह में शेष दिन नियमित न्यायालय में कार्य संपादित करेंगी।** **1.** थाना **महिला थाना बुरहानपुर** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **महिला थाना बुरहानपुर** क्षेत्र के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना।

03/5/2024

2	3	4
		3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **5.** समस्त जिला बुरहानपुर (तहसील नेपानगर को छोडकर) से उद्भूत पराकम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन समस्त परिवाद पत्र। **6.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर में स्थित आरक्षी केन्द्रों के खान व खनिज अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचाराधीन) मामले।
4. श्री गुरूवेन्द्र हुरमाडे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बुरहानपुर म.प्र. **नोट क 01 – श्री गुरूवेन्द्र हुरमाडे सप्ताह में 05 दिवस जिला बुरहानपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर प्रदत्त आपराधिक प्रकरण व उनके न्यायालय में वर्तमान में लंबित आपराधिक प्रकरणों का विचारण/निराकरण करेंगे।** **नोट क 02 – श्री गुरूवेन्द्र हुरमाडे सप्ताह में 01 दिवस तहसील नेपानगर में उपस्थित होकर लिंक कोर्ट कार्य निष्पादित करेंगे।**	**आरक्षी केन्द्रः–** **1. नेपानगर** **2. आरक्षी केन्द्र निम्बोला (तहसील नेपानगर के अंतर्गत)**	**1.** थाना **नेपानगर, निम्बोला** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विभागों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र **नेपानगर, निम्बोला** क्षेत्रों के धारा 176 दं.प्र.सं. के संशोधित प्रावधानों के तहत उत्पन्न अपराधों की स्वयं जांच करना। **3.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर की पूर्वानुमति एवं सी.जे.एम. बुरहानपुर को पूर्व सूचना देते हुये अपने क्षेत्राधिकार में चलित न्यायालय लगाना। **4.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना। **5.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न म0प्र0 आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में, जिनमें 50 बल्क लीटर से कम शराब जप्त हुई हो, का विचारण करना। **6.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भुत धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम के प्रकरण। **7.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले माईन्स एण्ड मिनरल्स् एक्ट से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से उत्पन्न महिलाओं से संबंधित/उनके विरुद्ध कारित अपराध एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। **9.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **10.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित पुलिस द्वारा प्रस्तुत खात्मा प्रतिवेदन पर विचार कर निराकरण करना। **11.** उपरोक्त आरक्षी केन्द्रो में निम्नलिखित अधिनियमों से उत्पन्न होने वाले प्रकरण :– अ. ड्रग्स एवं कास्मेटिक एक्ट, 1945

15/2024

1	2	3	4
			ब. म0प्र0 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 स. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 द. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम य. नाप तौल अधिनियम र. फैक्ट्री अधिनियम ल. सार्वजनिक द्युत अधिनियम
5.	**सुश्री आरती गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुरहानपुर**	**आरक्षी केन्द्र** **1. यातायात**	**1. थाना यातायात** जिला बुरहानपुर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी सुनवाई का एक मात्र क्षेत्राधिकार भिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विशेष न्यायालयों या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। **2.** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा समय–समय पर अंतरित दाण्डिक प्रकरणों का निराकरण करना। **3**. जिला बुरहानपुर के समस्त आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। **4.** संपूर्ण जिला बुरहानपुर (तहसील नेपानगर के अतिरिक्त) के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (विशेष उपबंध) अधिनियम 1987, अत्यावश्यक वस्तु संशोधन (आर्डिनेन्स) 1998 का निराकरण करना।
6.	**सुश्री शिवानी अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बुरहानपुर**		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी द्वारा विचारणीय आपराधिक प्रकरण।

2024.

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

न्यायालय : सरिता जतारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

कमांक– ( )1832/2024

बुरहानपुर,दिनांक : 03/06/2024

प्रतिलिपि :– // **संशोधित कार्य विभाजन आदेश** //

1. शीघ्रलेखक, श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।
2. श्रीमान् प्रथम/द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला बुरहानपुर।
3. कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जिला बुरहानपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि, कृपया समस्त थाना प्रभारियों को अवगत कराने का कष्ट करें।
5. श्री अजय कुमार यदु/श्रीमती संघप्रीया भद्रसेन/श्री राजकुमार भद्रसेन/श्री देवेश मिश्रा/श्रीमती संध्या देवेश मिश्रा/श्री गुरुवेन्द्र कुमार हुरमाड़े/सुश्री आरती गौतम, शिवानी अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला बुरहानपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. जिला वन मंडलाधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
7. थाना प्रभारी, जी.आर.पी.खण्डवा की ओर सूचनार्थ।

08. कारखाना निरीक्षक, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

09. उप संचालक, खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग।

10. उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म0प्र0 शासन बुरहानपुर।

11. जिला अभियोजन अधिकारी, बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

12. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

13. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

14. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।

15. सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम आफिसर/सहायक ग्रेड–3, कम्प्यूटर अनुभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16. पंजीयन लिपिक, फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2024

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

नोट :- म.प्र. शासन की ई-मेल योजना-2014 एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के ज्ञापन क्र. Reg(IT)(SA)/2014/979, दिनांक, 20-04-2017 के अनुसार ईमेल द्वारा प्राप्त पत्राचार को मान्य किया गया।

03-05-2024

(सरिता जतारिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-बुरहानपुर (म.प्र.)